



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

CIN: U32201UP1999SGC024928

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

पत्रांक-..... / उ0प्र0प्र0 / पेंशन / 16-17 / विविध

दिनांक- 28/11/16

समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
ट्रान्सको/डिस्काम पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,
समस्त उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी,
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
(ट्रान्सको)/डिस्काम, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल,

विषय:- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवगत कराना है कि दि0 01.01.06 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के न्यूनतम पेंशन का पुनरीक्षण उ0प्र0 राज्य शासन के शासनादेशो सं0- 3-1358/दस-2010/दि0 19.07.2010, सं0-सा-3-जी0आई0-02/दस-2014 - 308/97 टी0सी0 दि0 14.07.14, सं0-सा-4/2016/सा-75/दस-2016- 308/97 टी0सी0 दि0 21.01.16 तथा सं0-22/2016/सा-3-342/दस 2016-308/97 टी0सी0 दि0 05.07.16 की अनुरूपता में कारपोरेशन के आदेश सं0-5226पै0एवंआर0-28/पाकालि/09-60 पी/98 दि0 22.11.2010, आदेश सं0-500 पै0एवंआर0-28/पाकालि/09-60पी/98 दि0 14.05.2015 एवं आदेश सं0-991पै0एवंआर0-28/ पाकालि/16-60-पी/98 दि0 07.10.2016 के माध्यम से आदेशित किया गया है।

2. ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों को कोषागार के माध्यम से पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान कराये जाने सम्बन्धित उ0प्र0 शासन के ऊर्जा अनुभाग-2 के आदेश सं0-1/2016/41/24-पी-2-16-सा.(84)/2014 दिनांक 13.01.16 के उद्धरित अंश:-

बिन्दु VI- “पेंशन/पारिवारिक पेंशन समय-समय पर पुनरीक्षण, सम्बन्धित कम्पनी द्वारा आदेश जारी किये जाने पर कोषागारों द्वारा किया जायेगा। कट-आफ-डेट से पूर्व की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन, ग्रेचुटी एवं राशिकरण का भुगतान भी कोषागारों द्वारा किया जायेगा।”

बिन्दु VIII- “पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थान्तरित करने हेतु कट-आफ-डेट 29 फरवरी 2016 होगी। उक्त तिथि के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लम्बित पाई जाती है तो उसका भुगतान वर्तमान सम्बन्धित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ/ऊर्जा विभाग की अनुदान, में वर्षानुवर्ष समूचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तांतरित कर दी जाये।”

उपर्युक्त आदेशित व्यवस्था के आलोक में प्रस्तर-1 में संदर्भित शासनादेश/जारी कारपोरेशन के आदेश के अनुपालन के विषय में निदेशक कोषागार के कार्यालय में हुई चर्चा एवं तदनुरूप कार्य के सुगम/समूचित सम्पादन हेतु उपर्युक्त आदेशों का क्रियान्वयन कारपोरेशन/निगम रत्तर से सम्पादित कराये जाने एवं कारपोरेशन के पेंशन वितरण इकाई रत्तर से भुगतान किये जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

(क) दि0 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जो अपने पद के वास्तविक वेतनमान में वेतन आहरित करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें उनके वास्तविक रूप से अनुमन्य/आहरित वेतनमान के सापेक्ष दि0 01.01.2006 से प्रतिस्थापित वेतन बैंण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षित बढ़ी हुई दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अनुमत्यता दि0 01.01.2006 से प्रदान की गयी है किन्तु आदेश सं0-500 पै0एवंआर0-28 दि0 14.05.2015 के अन्तर्गत कम हुई पेंशन/पारिवारिक पेंशन की वसूली दि0 13.05.2015 तक नहीं की जायेगी।

(ख) दि0 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जो दि0 01.01.1996 से प्रभावी वेतन संरचना में अपने पद के वास्तविक वेतनमान के रथान पर समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतनमान में वेतन आहरित करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं उनके मामले में अवशेष की अनुमन्यता के साथ वास्तविक आहरित वेतनमान के सादृश्य प्रतिस्थापित वेतन बैंण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता दि0 01.01.2006 से प्रदान की जायेगी किन्तु उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमान जिसका अवशेष दि0 19.07.2010 तक देय नहीं है, के समयबद्ध वेतनमान के आधार पर दि0 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता दि0 19.07.2010 तक वास्तविक आहरित वेतनमान के आधार पर एवं दिनांक 20.07.2010 से उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमान के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान अनुमन्य होगा तथापि सम्बन्धित मामलों में कारपोरेशन के आदेश सं0-500 पै0एवंआर0-28 दि0 14.05.2015 के अन्तर्गत कम हुई पेंशन/पारिवारिक पेंशन की वसूली दि0 13.05.2015 तक नहीं की जायेगी।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) से सम्बन्धित समस्त कार्मिकों जिनकी अर्हकारी सेवा 33 वर्ष अथवा 66 छमाही से कम रही है, के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी संगत वेतन बैंण्ड/ग्रेड वेतन के आधार पर किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पेंशनरों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की

न्यूनतम निर्धारित धनराशि को प्रो-रेटा में कमी न करके संगत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की न्यूनतम पूर्ण पेंशन दिनो 05.07.2016 से अनुमन्य करायी जायेगी।

अतः कारपोरेशन के उपर्युक्त आदेश सं0-5226 पै0एवंआर0-28/पाकालि/09-60पी/98 दिनो 22.11.2010, आदेश सं0-500पै0एवंआर0-28/पाकालि/09-60पी/98 दिनो 14.05.2015 एवं आदेश सं0-991 पै0एवंआर0-28, पाकालि/16-60-पी/98 दिनो 07.10.2016 की व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराकर पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जनपद के कोषागार को सचिव, उ0प्र0 राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के माध्यम से प्रेषित कराने का कष्ट करें जिससे उक्त आदेशों के अनुसार दिनो 01.03.16 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का भुगतान सुगमता पूर्वक कोषागारों से किया जा सके।

उपर्युक्तानुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश के पुनरीक्षण पर दिनांक 01.03.16 के पूर्व अवधि के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अवशेष का संगत शासनादेश की व्यवस्थानुसार पेंशन वितरण इकाई स्तर से भुगतान कराये जाने हेतु व्यय भार का आंकलन पेंशन वितरण इकाई द्वारा करके आवश्यक धनराशि की माँग सचिव (ट्रस्ट) को प्रस्तुत करेगी जिससे सचिव (ट्रस्ट) द्वारा उक्त धनराशि उ0प्र0 शासन से मद विशिष्ट में प्राप्त कर पेंशन वितरण इकाई को भुगतान की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जा सकेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की कोई भ्रम/संशय की स्थिति आती है तो ऐसे प्रकरण में उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/कार्यालय, लेखाधिकारी (पेंशन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0 से यथा अपेक्षित समन्वय प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एस.के. शुक्ला)

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या.....5476..... / उ0प्र0 / पेंशन / 16-17 / विविध / तददिनांक-

/ 16

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वाञ्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केरको, विद्युत वितरण निगम लि�0।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल/पूर्वाञ्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केरको, विद्युत वितरण निगम लि�0।
6. महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), मध्यांचल/पूर्वाञ्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केरको, विद्युत वितरण निगम लि�0।
7. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा), विद्युत उत्पादन निगम लि�0/जल विद्युत उत्पादन निगम लि�0।
8. अपर सचिव (तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सचिव, उ0प्र0, राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन—विस्तार, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
10. समस्त पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0/समस्त वितरण कम्पनिया/उत्पादन निगम लि�0/जल विद्युत निगम लि�0।
11. अधिशासी अभियन्ता, (वे ब) कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(एस.के. शुक्ला)

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)